दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय तिथि: 31.01.2025

<u>नि.प्र.अ. 87/2025, सि.वि.आ. 6173/2025, 6172/2025, 6170/2025 और 6171/2025</u>
<u>[RFA 87/2025, CM APPLs 6173/2025, 6172/2025, 6170/2025 & 6171/2025]</u>

मेसर्स ग्रेटेक टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री नवदीप सिंह, अधिवक्ता

बनाम

मेसर्स कॉरपोरेट एंटरप्राइजेज .....प्रत्यर्थी

द्वारा: कोई नही

कोराम: न्यायमूर्ति श्री गिरीश कठपालिया

<u>निर्णय</u> (मौखिक)

1. अपीलार्थी ने सि.प्र.सं. के आदेश 37 के अंतर्गत पारित निर्णय और डिक्री, जिसके द्वारा ₹7,01,433/- की वसूली का आदेश दिया गया है, को चुनौती दी है। वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा दायर संक्षिप्त वाद को डिक्री कर दिया गया क्योंकि अपीलार्थी निर्धारित प्रारूप में सम्मन की तामील के बावजूद सि.प्र.सं. के आदेश 37 के अंतर्गत उपस्थित होने में विफल रहा है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, जिन्होंने मुझे अभिलेखों से अवगत कराया, मुझे अपील का नोटिस भी जारी करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

3. अभिलेखों से परिलक्षित होता है कि वर्तमान प्रत्यर्थी, जो एक एकल स्वामित्व फर्म है, ने अपीलार्थी के विरुद्ध ₹7,01,433/- की वसूली हेतु वाद यह निवेदन करते हुए दायर किया कि दोनों पक्षकारगणों द्वारा संचालित व्यापारिक चालू खातों के अनुसार बकाया भुगतान के लिए अपीलार्थी ने वर्तमान प्रत्यर्थी के पक्ष में कुल ₹4,00,000/- के दो चेक जारी किए, किन्तु दोनों चेक अपीलार्थी के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण अस्वीकृत हो गए थे। वर्तमान प्रत्यर्थी के अनुसार, कुल ₹7,01,433/- की बकाया देनदारी, जिसमें ₹4,00,000/- की चेक राशि भी सम्मिलित है, दोनों पक्षकारगणों की लेखा-पुस्तकों में स्वीकार की गई है और यह उन वस्तुओं के संबंधित चालानों द्वारा समर्थित है, जिनकी आपूर्ति निर्विवाद रूप से की गई थी।

4. प्रत्यर्थी का उपरोक्त वाद संक्षिप्त वाद के रूप में पंजीकृत किया गया और सि.प्र.सं. के आदेश 37 के अंतर्गत उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्धारित प्रारूप में सम्मन जारी किए गए तथा अपीलार्थी पर विधिवत् तामील किए गए। आक्षेपित निर्णय के अनुसार, उपस्थिति दर्ज कराने हेतु सम्मन दिनांक 30.06.2018 को अपीलार्थी पर तामील किए गए थे, किन्तु अपीलार्थी ने कोई

उपस्थिति दर्ज नहीं की, जिससे वह पता उजागर हो गया जिस पर निर्णय हेतु सम्मन तामील किए जाने थे। इसके अतिरिक्त, अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी ने केवल एक आवेदन दिनांकित 02.07.2018 प्रस्तुत किया, जिसमें विलंब की क्षमा याचना करते हुए बचाव करने की अनुमति मांगी गई थी। न तो कोई औपचारिक उपस्थिति दर्ज की गई और न ही ऐसा करने में हुई देरी की क्षमा हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उपस्थिति दर्ज कराने हेतु सम्मन दिनांक 22.05.2018 को अपीलार्थी के देहरादून स्थित कारखाने में तामील किए गए है, जहाँ से उन्हें अपीलार्थी के दिल्ली कार्यालय में प्रेषित किया गया। किन्तु स्वीकृतरूप से, इसके बाद भी अपीलार्थी ने विलंब की क्षमा हेतु एक आवेदन के साथ उपस्थिति दर्ज नहीं की थी।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का जोरदार प्रतिविरोध है कि प्रत्यर्थी ने न्यायालय के साथ धोखाधड़ी करके आक्षेपित निर्णय और डिक्री प्राप्त की है। कथित धोखाधड़ी, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्पष्ट की गई है, यह है कि प्रत्यर्थी ने न्यायालय से यह तथ्य छिपाया कि उसने पहले ही ₹3,00,000/- की राशि बकाया देनदारी के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में प्राप्त कर ली थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इसी कारण से वाद स्वयं ही खारिज किए जाने योग्य है।

7. निस्संदेह, धोखाधड़ी के मामले में सिविल वाद खारिज किए जाने योग्य होता है। किन्तु वर्तमान परिस्थितियों में किसी का भी यह मामला नहीं है कि कथित धोखाधड़ी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु सम्मन के जारी करने और तामील होने से संबंधित थी। कथित धोखाधड़ी और ₹3,00,000/- के कथित भुगतान का अभिवाक अपीलार्थी केवल प्रतिवाद करने की अनुमति हेतु आवेदन के माध्यम से ही उठा सकता था, जो कि केवल निर्णय हेतु सम्मन के तामील होने पर ही दाखिल किया जा सकता था, और वह सम्मन तभी जारी हो सकता था जब अपीलार्थी सि.प्र.सं. आदेश 37 के अंतर्गत उपस्थिति दर्ज करता। तकनीकी पहलू पर आधारित सि.प्र.सं. के आदेश 37 की रूपरेखा को किसी भी पक्षकार के द्वारा तो दूर न्यायालय के द्वारा भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे द्वारा आक्षेपित निर्णय और डिक्री में कोई त्रुटि नहीं पाई गई है, अतः ये दोनों बरकरार रखे जातें हैं। अपील तथा इसके साथ के आवेदनों को खारिज किया जाता है।

न्या. गिरीश कठपालिया

31 जनवरी, 2025/*एस/आरवाई*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*